

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-722/ग्यारह-9(52)/15-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(132)-2015
दिनांक: 29 मई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 30 मई, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या-6 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
6	पान का पत्ता, तैयार या बिना तैयार पान ; गुलकन्द

आज्ञा से,


(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।